Hiza an Usiya The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग --- ल ब्ह 3--- उपलब्ह (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

₹i∘ 28]

नई विल्ली, गुरुवार, जनवरी 20, 1972/पौष 30, 1893

No 28]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 1972/PASUA, 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 20th January 1972

G.S.R. 35 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Singapore with effect from the 20th day of January, 1972.

[No. L/413/3/71.]

Dr. S. P. JAGOTA,

Director (L&T).

वित्त मंत्रालय

स्रावेश

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 35(इ).-प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की घारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि

1972 के जनवरी मास के बीसवें दिन से उक्त ऋधिनियम के, ऋध्याय 3 से भिन्न सभी उपबन्ध सिंगापुर गणराज्य पर लागू होंगे।

[सं० एस/413/3/71]

डा० एस० पी० जगोता,

निदेशक (वि० एवं संधि)